पत्र सं0-विधि-4(2)-नियम/अधिनियम संशो0पत्रा0/2014-15/619/1415055/ वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर
(विधि-अनुभाग)
उत्तर प्रदेश
लखनऊ:: दिनांक ; 28 जुलाई,2014

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक)
वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश

मुख्यालय पर इस आशय के प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि सावन माह में काँवड़ियों द्वारा जलाभिषेक करने के कारण पश्चिमी उ0प्र0 के अनेक जनपदों में विभिन्न मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं , जिसके कारण व्यापारियो को कार्यालय आकर रिटर्न दाखिल करना मुश्किल हो जाता है । अत: यह अनुरोध किया गया है कि यदि इन जनपदों में व्यापारियों द्वारा माह जुलाई,14 में प्रस्तुत किए जाने वाले रिटर्न दिनांक 31,जुलाई तक देय स्वीकृत कर के जमा होने के साक्ष्य सहित जमा कर दिए जाते हैं ,तो उनके विरुद्ध अर्थदण्ड की कार्यवाही न की जाए।

उपर्युक्त के दृष्टिगत यह निर्देश दिए जाते हैं कि मेरठ जोन , गाजियाबाद जोन प्रथम , गाजियाबाद जोन द्वितीय , सहारनपुर जोन तथा मुरादाबाद जोन में यदि व्यापारियों द्वारा माह जुलाई,14 में नियमानुसार प्रस्तुत किए जाने वाले रिटर्न , स्वीकृत कर तथा विलम्ब के लिए देय ब्याज के साक्ष्य सहित दिनांक 31, जुलाई,14 तक प्रस्तुत कर दिए जाते हैं , तो उपर्युक्त जोन के ऐसे व्यापारियों के संबंध में अर्थदण्ड की कार्यवाही न की जाए।

तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ।

28.7.2014
(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश

पृ0प0सं0एवं दिनॉक उक्त ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) माननीय अध्यक्ष,उ0प्र0 राज्य वाणिज्य कर सलाहकार समिति, उ0प्र0 शासन ,लखनऊ ।
(2)प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग,उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय,लखनऊ।
(3) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना ,उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ।
(4) सॅयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, ,उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ (दो प्रतियो में)
(5) अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवॅ समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर,उ0प्र0 ।
(6) समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।
(7) समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर , उ0प्र0 मुख्यालय लखनऊ ।
(8) एडीशनल कमिश्नर,ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0/ अपील), वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश ।
(9) समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक / वि0अनु0शा0 / अपील / कारपोरेट) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।